संख्या-255 /2022/917/41-2022/001-30-budget-2019

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 21 अप्रैल,2022**

विषयः- जनपद आजमगढ के विकास खण्ड महराजगंज में स्थित भैरव बाबा स्थल के पर्यटन विकास कार्य हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-192/6-1-1(1016)/2019 दिनांक 8 अप्रैल 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ के विकास खण्ड महराजगंज में स्थित भैरव बाबा स्थल के पर्यटन विकास कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार किये गये आगणन के सापेक्ष रू0 70.78 लाख+जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर देय) की प्रशासकीय एवं रू0 35.39 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0- 190/2019/1676/41-2019-30(बजट)22019 दिनांक 8.7.19 द्वारा निर्गत की गई थी। तदन्तर शासनादेश सं0 180/2020/1343/41-2020-30(बजट)22019 दिनांक 7.8.20 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0-10.00 लाख/ शासनादेश सं0 34/2021/4652/41-2020-30(बजट) 22019 दिनांक 18.1.21 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0-14.156 लाख/ शासनादेश सं0 277/2021/1244/41-2021-30 (बजट)22019 दिनांक 24.3.21 द्वारा रू0-11.234 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार परियोजना हेतु रू0- 70.78 लाख की संपूर्ण धनराशि अवमुक्त किये जाने के उपरान्त महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि प्रेषित करते हुये जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रयोजना की अंतिम किश्त के रूप में रू0 7.74 लाख (रू0-सात लाख चौहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते है कि निदेशालय द्वारा प्रत्येक दशा में धनराशि के भुगतान के पूर्व निविदा लागत एवं उक्त के सापेक्ष मदवार व्यय विवरण प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी भी दशा में परियोजना की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि का भुगतान न हो।

4. उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त प्रस्तर-3 पर प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति के क्रम में भुगतान से पूर्व निम्नाकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु दोहरा आहरण न हो तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस संबंध में शासनादेश सं0 190/2019/1676/41-2019-30(बजट) 22019 दिनांक 8-7-19 / शासनादेश सं0 180/2020/1343/41-2020-30(बजट) 22019 दिनांक 7.8.20/ शासनादेश सं0 34/2021/4652/41-2020-30(बजट)22019 दिनांक 18.1.21/ शासनादेश सं0 227/2021/1244/41-2021-30(बजट) 22019 दिनांक 24.3.21 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर 2021, में निहीत शर्तों एवं प्रविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका प्रयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नही किया जायेगा।

(3) प्रयोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा (जी0एस0टी0) भुगतान के सम्बन्ध में ***तिथिवार विवरण एवं प्रामणिक प्रपत्र-जी0एस0टी0 इन्वारयस*** सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतानि किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटारिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहारित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महानिदेशक, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (V II) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 044 **लेखा शीर्षक** 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 15 / 2021/ बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसम्बर, 2022 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2021/ बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक- 29 मार्च, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या- 255 /2022/917/41-2022/001-30-budget-2019 तद्दिनांक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी ,गोरखपुर।
4- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक**,** ग्रामीण अभियंत्रण विभाग**,** लखनऊ।
7- अधिशासी अभियन्ता**,** ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आजमगढ़।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी गोरखपुर/आजमगढ़ मण्डल, गोरखपुर।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।